

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जब अदालत

मुकाम : राशमी

बनाम

किस्म मुकदमा

नं.

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/01/2023	<p>पत्रावली अश्विक्ता वारी के निवेदन पर सीजे से तलब लेकर पेशा हुई। वारी स्वयं हाफिर एवं अश्विक्ता हाफिर। वारी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, जो खलवग है। पत्रावली का अवलोकन किया मनम किया। वारी स्वयं अपना वादपत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहता है, वाद को विद्रोह करना चाहता है। ऐसी स्थिति में वारी का निवेदन स्वीकार किया जाना है। वारी का वाद अदालत द्वारा 88, 89, 188 को विद्रोह में स्वीकार किया जाता है। साथ ही नवीन वाद की इल्जुमति अश्विक्ता में विवाद लेने पर ही जाती है। पत्रावली फैजल कुमार लेजर नम्बर से पत्रावली में निर्वाह सुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i> V. ce</p>

(नीता बरीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

